सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:– 227/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–08.12.2022

GCMS ID–2022/101

उनवान

1. जगदीश आ0 नारायण जाति गुर्जर निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीशीबाई पुत्री बद्रीलाल जाति गर्जुर निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नाथी बाई पुत्री बद्री पत्नी धर्मराज जाति गुर्जर निवासी कवासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक।
3. शिवकरण आ0 बद्रीलाल जाति गर्जुर निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. सोहनी बाई पुत्री बद्री पत्नी लटूर जाति गुर्जर निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री दिपीपसिंह गौड
वकील अप्रार्थीगण :– महेश नामा

आदेश दिनांक : 18.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1478 रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियॉ खसरा संख्या 1479 व 1477 वाके ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डाली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1478 में जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1479 में धोरा एवं उसके बाद पगडण्डीनुमा गडार बनी हुई थी, जिस पर होकर प्रार्थी अपने खेत पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आने जाने, कृषि यंत्र लाने ले जाने व कुए से उक्त धोर में पानी लाकर खेत की सिंचाई करता था। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1479 के सहारे स्टेट हाईवे 148 डी गुलाबपुरा से उनियारा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। उक्त रोड अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1479 से दक्षिण दिशा की ओर सटवा स्टेट हाईवे 148 डी निकला हुआ है जो कि प्रार्थी की भूमि में से होकर निकाला गया है। जिससे प्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो गई है। एक हिस्सा रोड से दक्षिण दिशा में रह गया एवं एक हिस्सा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1479 की उत्तर दिशा में रह गया है जिसका खसरा संख्या 1478 है। पूर्व में प्रार्थी की राज्य सरकार द्वारा रोड के लिए अवाप्त की गई भूमि में से होकर ही प्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 1478 एवं अप्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 1479 में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे थे। प्रार्थी जब से स्टेट हाईवे 148 डी को बनाने एवं प्रार्थी की भूमि अवाप्त की गई तब से ही अप्रार्थीगण प्रार्थी को स्टेट हाईवे के उत्तर दिशा की ओर खसरा संख्या 1478 में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1479 के पश्चिमी मरे पर होकर प्रार्थी का धोरा व पगडण्डी नुमा रास्ता बना हुआ था जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा स्टेट हाईवे 148 डी बनने के बाद नष्ट कर दिया गया है एवं प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने , सिंचाई करने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न कर दी है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 1478 पर पिछले कुछ समय से कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को नुकसान उठाना पड रहा है तथा भूमि पडत पडी हुई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से अपने खेत खसरा संख्या 1478 में पहले से बने हुए पगडण्डी नुमा रास्ते पर होकर रास्ता देने को कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया तथा उक्त पगडण्डीनुमा रास्ता व धोरो को हांककर नष्ट कर दिया। अप्रार्थीगण ने अन्तिम बार दिनांक 28.09.2022 को प्रार्थी को उसकी भूमि खसरा संख्या 1478 पर जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1479 में से प्रार्थी को रास्ता देने से इन्कार कर दिया है वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने, ट्रेक्टर लाने ले जाने, फसल को ले जाने खाद बीज को खेत पर ले जाने के लिए 12 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। जिसके अभाव में प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित हो रहा है, 12 फीट चौडे रास्ते में जो भूमि अप्रार्थीगण की आयेगी उसके लिए प्रार्थी डी0एल0सी0 दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थीगण को कीमत अदा करने को तैयार है। वाद कारण दिनांक 28.09.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। पूर्व में उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब हिण्डोली के यहाँ पेश कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दिया था परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं गई है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 5 को भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने पक्षकार बनाया गया है। भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अत श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1478 रकबा 0.1538 हैक्टेयर पर आने जाने ट्रेक्टर लाने ले जाने फसल को ले जाने खाद बीज को खेत पर ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1479 में से 12 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 स्वीकार है। चरण सं0 2 में वर्णित खसरा सं0 1477, 1479 अप्रार्थी के खातेदारी होना स्वीकार व शेष चरण अस्वीकार है, चरण सं0 3, 4, 5, 6, 7, 8 अस्वीकार है। चरण सं0 9 तकमीली है, चरण सं. 10 अस्वीकार है व चरण सं0 11 व 12 कानूनी होना अंकित करते हुये प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु गांव से होकर श्मशान घाट तक सी0सी0 रोड बना हुआ है इसके आगे ग्रेवल रोड बना हुआ है जिस पर होकर प्रार्थी वर्षो से आता जाता है व अप्रार्थी भी उक्त रास्ते का ही उपयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण की भूमियां नेशनल हाईवे पर स्थित होने से प्रार्थी के मन में बदनीयती आ गई है और उक्त रास्ते की आड में प्रार्थी अप्रार्थीगण की बेशकीमती भूमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि प्रार्थी की अन्य भूमियां भी रोड के सहारे ही स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमियों पर होकर भी अपनी भूमियों पर आ जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 5 सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :—राजस्व/24/329 दिनांक :—25.11.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1478 वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणीजा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 1479 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खंडन करते हुये वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की प्रार्थी की भूमियों पर आने जाने हेतु गांव से होकर श्मशान घाट तक सी0सी0 रोड बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी व अप्रार्थीगण कर रहे है। प्रार्थना पत्र केवल परेशान करने की नियत से किया गया है जो खारिज किया जावे।

दिनांक 25.11.2024 को नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से रास्ते बाबत पेश रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने से व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों बाबत पुनः जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना से तलब की गई। नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/596 दिनांक :–22.04.2025 से पुनः रिपोर्ट पेश कर पूर्व में पेश की गई रिपोर्ट सही होना अंकित कर प्रस्तावित किया गया रास्ता उचित बताया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं0 1478 वाके ग्राम रोणीजा में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1479 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, में से 12 फिट चौडा व 68 फिट लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता लघुतम है, प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना अंकित किया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 1478 वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणीजा में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोणीजा के खाता सं0 136 के खसरा संख्या 1479(चाही 2) की पूर्वी मेड पर, में से कुल 12 फीट चौडे व 68 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0073 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 7170000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0073 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 52341/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 104682/रू को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान कर/डी.डी. बनवाकर न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 18.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

18/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446